

❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाड़ा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfiaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2025-26/
निमित्त,

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के पत्रांक दिनांक 30.10.2023, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021/एफसीए/प्रमुवसं/8362 दिनांक 15.12.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 233 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उक्त सन्दर्भित पत्रों एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 617 दिनांक 18.01.2024, पत्रांक 4884 दिनांक 16.05.2024 के क्रम में यूजर एजेन्सी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 04.09.2025 (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जवाब दिनांक 25.10.2025) द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया हैं। जो इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:-

क.सं.	कमियां	जवाब
1.	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation. Thus, details of the officers involved in the violation shall be submitted.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 04.09.2025 (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जवाब दिनांक 25.10.2025) (संलग्न) के अनुसार उक्त सडक का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि. वि. द्वारा उक्त सडक का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सडक सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सडक के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सडक पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध हैं। (तदानुसार यूजर एजेन्सी ने अपने कार्यालय के पूर्व पत्रांक स्पे0 1 दिनांक 26.07.2023 के संलग्न कर वचनबद्धता इस कार्यालय में जमा कराये गये थे जो इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 8181 दिनांक 01.08.2023 के संलग्न कर भिजवाये गये थे। जिनकी छायाप्रति पुनः संलग्न हैं।) सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय जयपुर के

Fca Inf 990-
91



Signature valid

Digitally signed by Dendera Pratap Jagawat
Designation : Conservator Of Forest
Date: 2025.11.06 13:57:18 IST
Reason: Approved

	नाम एफ.आई.आर.नं0 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा. नि. विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई हैं। उक्त समय में सा. नि. वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।
--	--

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2025-26/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 990-
91

Signature valid

Digitally signed by Devesh Pratap
Jagawat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.11.06 10:57:18 IST
Reason: Approved

श्रीमान उपवन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय:-प्रस्ताव Diversion of 0.9885 ha. Of forest land in favor of PWD
Rajasthan Construction of road from NH-8 KM stone No. 181
(Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to
13/00 Tehsil- Viratnagar Dist. Jaipur (Raj.) & Proposal No.
FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

प्रसंग:-आपके कार्यालय के पत्रांक 4884 दिनांक 16.05.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा आन
लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of road from NH-8 KM stone No. 181 (Aantela) to SH-
08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00 Tehsil- Viratnagar Dist.
Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 का परीक्षण करने के उपरान्त
लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation . thus details of the officers involved in the violation shall be submitted.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदानुसार वचनबद्धता संलग्न है विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर नं. 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11259/- दिनांक 16.03.2022 चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है। उक्त समय में सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।

GENERAL Letter

(डी. पी. जागायत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय विराटनगर

भीमि ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोपडाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302010 e-mail: dcfaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165
 क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 8181 दिनांक 01/08/2023
 निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।
 सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021 / एफसीए/प्रमुवसं/6476 दिनांक 26.06.2023 व आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3635 दिनांक 6.7.23 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021 / एफसीए/प्रमुवसं/6476 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में जारी किये गये EDS का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	कामियां	जवाब
1.	As per reply of the point no. 1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक SP-1 दिनांक 26.07.2023 (संलग्न) के अनुसार उक्त सडक का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सडक का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सडक सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सडक के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सडक पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदानुसार वचनबद्धता संलग्न है। सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर.नं0 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा. नि. वि. विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को चेक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है। प्रकरण में पूर्व में वन भूमि प्रत्यावर्तन की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 सेट में।

भवदीय,

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Signature valid 01/08/2023

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 8182

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी

Digitally signed by Manphool Bishnoi
 Of Forest
 Date: 2023.08.01 12:42:52
 Reason: Approved

Rajkaj Ref No. : 4419522

(डी. पी. जागावत) IFS
 उप वन संरक्षक
 जयपुर (उत्तर)

कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, विराटनगर

क्रमांक: Sp- L

दिनांक: 26/7/23

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)



विषय:- Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसंजउ/2022-23/7196 दिनांक 30.06.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District-Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	As per reply of the point no.1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हेक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदानुसार वचनबद्धता सलग्न है। विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर नं. 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 बैंक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है।

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

भवदीय
सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर



Payable at Par at all AU Small Finance Bank Branches

Paota

ISSUING BRANCH & CODE

REF. No. 219913001419

दिनांक
Date

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE
6 0 8 4 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY/भी वारे वर

DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST JAIPUR NORTH

के वर वरके अरुदे वर OR ORDER

उपरे रुपय

ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY NINE ONLY

₹ 11,259.00

For AU Small Finance Bank Ltd

Purchaser Name: LALIT KUMAR SHARMA

Jaipur Head Office

BRANCH AND CODE

AUTHORIZED SIGNATORY

AUTHORIZED SIGNATORY

001296 3037650101


16

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.वि.वि. उपखण्ड बिराटनगर-II जयपुर

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

वन विभाग राजस्थान
डिवीजन



बुक नं. 154

सदर नं.

16/3/2022 रोज नं. 034

नाका नं.

ता.

जयपुर (उत्तर) 206

से

तक

नाम नाका आंतेला नाम रेन्ज प 1 व 2

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे FIR No 218/042

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार अशोक अमियाता सा. नि. विभाग

सकूनत मय पता खण्ड प 1 व 2 जयपुर

मार्फत

किस्म पैदावार एवजाना

तादाद शहर

तादाद महसूल R.D.N. 50/1296

रकम उपारदखाना अका में 11259/-

साबिक हाल 11259/- मीजान

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

(डी. पी. जगमोहन)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(मनमोहन बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीना)
सा. नि. वि. उपखण्ड विभागाध्यक्ष-11 जयपुर

विषय:- Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021

अण्डरटेकिंग वास्ते दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु

मैं, सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह सा.नि.वि. विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

दिनांक - 01.05.2023

हस्ताक्षर

सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीमा)
सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

कार्यालय सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:- 203

दिनांक:- 6/2/23

सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-विराटनगर।

विषय:- सम्पर्क सड़क एनएच-8 बागावास अहिरान से आंतेला वाया झिण्डा वाला
बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सब्दर्भ में लेख है कि उक्त सड़क
कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 1992 से
1994 की अवधि में निर्मित करवाई गई थी जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. एवं लागत राशि
रूपये 18.00 लाख है।

इस विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित करवाई गई अन्य सड़कों के
साथ इस सड़क को भी आपके विभाग को सम्भलवाया जा चुका है।

पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(शिवराम जाटव)

सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, खण्ड-जयपुर प्रथम को सूचनार्थ।

(मनमोहन बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार शीना)
सहायक अभियन्ता

(शिवराम जाटव)
सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर